


तारीख हुम	प्रकरण संख्या 01/2022 प्रार्थनापत्र रतन गिरी बनाम अमरचन्द जाट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.10.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गयी। प्रार्थी द्वारा अपने पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र 26.10.2021 में जो तथ्य वर्णित किये गये है वह पुनर्विलोकन के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाये गये है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन से जाहिर आया कि मौजूदा प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 03/2018 निर्णय दिनांक 31.10.2018 से विधिवत निर्णय पारित किया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सीपीसी दिनांक 26.10.2021 खारीज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शूमार होकर नम्बर से कम करे।</p>	

  
(जसमीन सिंह संधू)  
जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा